भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-88
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

यूजीसी के प्रारूप विनियमन 2025 का औचित्य

†*88. **श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रकाशित प्रारूप विनियमन 2025 की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रारूप विनियमन 2025 के अनेक प्रावधान राज्य विश्वविद्यालयों की शैक्षिक समग्रता, स्वायत्तता और समावेशी विकास के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकते हैं;
(ग) क्या ये विनियमन राज्य सरकारों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन हैं और राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर इनके दूरगामी परिणाम होंगे;
(घ) क्या कई राज्य विधानसभाओं ने यूजीसी विनियमों के प्रारूप के विरुद्ध सर्वसम्मति से संकल्प पारित किए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन प्रारूप विनियमों को वापस लेने या इनमें मौजूद कमियों को दूर करने का विचार है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्यों श्री टी. एम. सेल्वागणपति और श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा 'यूजीसी के प्रारूप विनियमन 2025 का औचित्य' के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 88 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के प्रत्येक पहलू में नवाचार, समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाना, शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सशक्त बनाना, शैक्षणिक मानकों को सुदृढ़ करना और शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लोकाचार के अनुरूप बनाना है। इसमें शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से देश को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है।

(ख) से (ङ): यूजीसी को विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन एवं समन्वय के लिए और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण एवं अनुरक्षण हेतु विनियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उपधारा (I) के खंड (ङ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनियमों को अधिसूचित किया जाता है। यूजीसी विनियम, 2025 के मसौदे में राज्य विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता और समावेशी विकास प्रदान किया गया है। मसौदा विनियम में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालयों की चयन समितियां यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए निश्चित संख्यात्मक स्कोर जिसे शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक (एपीआई) के रूप में जाना जाता है, के बजाय बाहरी विशेषज्ञों के इनपुट के आधार पर शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता, प्रकाशकों की प्रतिष्ठा आदि पर निर्णय लेंगी। मसौदा विनियमों में नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों को सरल और व्यापक बनाया गया है। इस राज्य मसौदे में सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कॉलेजों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। इन मसौदा विनियमों को फीडबैक, सुझाव और व्यापक परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है और हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28.02.2025 तक बढ़ा दी गई है। विभिन्न हितधारकों से विभिन्न सुझाव, टिप्पणियाँ और फीडबैक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा ताकि विनियमों में उपयुक्त सुझावों को शामिल किया जा सके।

******